नियम 102 : विशेष संपरीक्षा

(1) जहां धारा 66 के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने की अपेक्षा है वहां उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकारी **प्ररूप जीएसटी एडीटी–03** में एक निदेश जारी करेगा जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निदेश में विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की संपरीक्षा करवाने का निर्देश देगा।

(2) विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप **जीएसटी एडीटी–04** में विशेष संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा।